न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2016/167 दायर दिनांक 22.11.2016

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. सन्तोषकंवर पत्नि पृथ्वीसिंहजाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. हेमसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. पुससिंह पुत्र भंवरसिंह 5. दलिपसिंह पुत्र शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 6. लोकेन्द्रसिंह पुत्र शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 7. बबीताकंवर पुत्री शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह नाबालिक जरिये संरक्षिका माता धापूकंवर पत्नि शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 8. पूजाकंवर पुत्री शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह नाबालिक जरिये संरक्षिका माता धापूकंवर पत्नि शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 9. धापूकंवर पत्नि शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 10. समानसिंह पुत्र जीवणसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी जैतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 11. श्रीमान मेनेजर साहब एस.बी.बी.जे. बैक शाखा डीडवाना 12. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हस्ब धारा

53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री नरेन्द्रकुमार औझा, अधिवक्ता, वादीनी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01,ता 12 अनुपस्थित।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा जैतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 211 रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा स्थित है।नकल खतौनी सम्वत 2071–2074 पेश है।

उक्त खसरा नम्बर 211 मे से वादीनी को प्रतिवादी संख्या 10 समानसिंह पुत्र जीवणसिंह ने दिनाकं 29.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 10 का 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा भुमि का बैचाण मौके पर वादीनी को वास्तविक व भौतिक कब्जा सौफ कर वादीनी के पक्ष में किया गया। नकल बैचाण रजिस्ट्री पेश है।

उक्त बैचाण के आधार पर उक्त जमीन का म्युटेशन वादीनी के नाम दर्ज होने के बाद वादीनी अपने बन्ट का खेत ख.न. 211 मे से 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा जमीन के कब्जे काश्त के खेत के चारो और डोल व कटीली बाड कर व अपने खेत मे पेड. पौधे लगा रखे है। तथा समय –समय पर खेत मे खाद वगैराह डलवा कर उपजाउ बना रखा है। वादीनी की जायगा को वादीनी ने अपने नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी सी.सी. से दर्शाया है। उक्त नजरी नक्शा इस वाद का अहम भाग है।

उक्त कुल खेत की जमीन बाई मिटस एण्ड बाउडन्स से बन्टी हुई नही है। राजस्व रेकर्ड मे सबकी सामलाती खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान मे जमीनो के भाव दिन प्रतिदिन बढ रहे है। जिससे प्रतिवादीगण 01 ता 09 के मन मे लालच आ गया है। और वे वादीनी की उक्त बैचाण की जमीन गलत सामलाती खातेदारी की ओट मे वादीनी के हिस्से व कब्जा की उक्त जमीन किसी अन्य को बैचने के फिराक मे है।तथा वादीनी की जमीन में घूसकर कब्जा करना चाहते है।वादीनी के पति राजसमन्द में अपना मार्बल का धन्धा करता इसलिए कभी कभार वादीनी अपने पति के साथ राजसमन्द चली जाती है। तथा इस वर्ष ही वादीनी ने खेत में बाजरे की फसल की जिसको प्रतिवादीगण जबरदस्ती काट कर ले गये।तथा वादीनी के खरीद सुदा खेत में से जबरदस्ती खेजडिया काटली और अपने घर ले जाना चाहते है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोकना जरूरी है। जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश है।

बन्टवारा प्रतिवादी स.01 ता 09 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। खेत पर वादीनी का बैचाण के समय से कब्जा काश्त है। जमीन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादीनी की जमीन की सींव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है उक्त वादीनी की जायगा को वादीनी ने अपने नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी सी.सी.से दर्शाया है। प्रतिवादी स. 01 ता 09 सामलाती गलत खातेदारी की ओट मे वादीनी के कब्जे की जमीन बैचने पर उतारू है।तथा जबरदस्ती वादीनी के कब्जे काश्त में दखल कर कब्जा करना चाहते है। इस लिए वादीनी अपनी बन्ट व खरीदी हुई जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खेत खसरा नम्बर 211 के खातेदार कमलकंवर बेवा भंवरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। तथा कमलकंवर के वारिसान पहले से उपरोक्त खसरा के खातेदार है।

प्रार्थना वादीनी है कि

कि वादीनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण सं 01 ता 09 डिकी फरमाया जावे तथा मौजा जैतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 211 रकबा 47 ब़ीघा 15 बिस्वा मे से 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा की जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादीनी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है,उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे अलग से खातेदारी में दिलाने का आदेश फरमावे।

कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादीनी के बन्ट मे आने वाली जमीन खेत ख.न. 211 रकबा 47 ब़ीघा 15 बिस्वा मे से 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा की जमीन जिसको वादीनी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।वादीनी के उक्त हिस्से व कब्जा काश्त मे भविष्य मे प्रतिवादीगण सं 01 ता 09 न तो स्वयं दखल करे और न किसी अन्य अपने एजेन्ट से दखल करावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बावत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस अधिवक्ता वादीनी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् व बैचाण रजिस्ट्री का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीनी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि मौजा जैतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 211 रकबा 47 ब़ीघा 15 बिस्वा मे से 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा की जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादीनी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है,उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे वादीनी के नाम अलग से खातेदारी में दर्ज किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 इस अमर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की जारी की जाती है कि वादीनी के बन्ट मे आने वाली जमीन खेत ख.न. 211 रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा मे से 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा की जमीन जिसको वादीनी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।वादीनी के उक्त हिस्से व कब्जा काश्त मे भविष्य मे प्रतिवादीगण सं 01 ता 09 न तो स्वयं दखल करे और न किसी अन्य अपने एजेन्ट से दखल करावे।तथा उपरोक्त खेत की खातेदारी में से कमलकंवर बेवा भंवरसिंह का नाम हटाया जाता है। नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **06.06.2017** को कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर में सरे आम सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/167** दायर दिनांक **22.11.2016**

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. सन्तोषकंवर पत्नि पृथ्वीसिंहजाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. हेमसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. पुससिंह पुत्र भंवरसिंह 5. दलिपसिंह पुत्र शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 6. लोकेन्द्रसिंह पुत्र शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 7. बबीताकंवर पुत्री शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह नाबालिक जरिये संरक्षिका माता धापूकंवर पत्नि शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 8. पूजाकंवर पुत्री शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह नाबालिक जरिये संरक्षिका माता धापूकंवर पत्नि शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 9. धापूकंवर पत्नि शिवपालसिंह उर्फ श्योपालसिंह 10. समानसिंह पुत्र जीवणसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी जैतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 11. श्रीमान मेनेजर साहब एस.बी.बी.जे. बैक शाखा डीडवाना 12. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हस्ब धारा

53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 06.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री नरेन्द्रकुमार औझा अधिवक्ता, *वादीनी व प्रतिवादीगण अनुपस्थित की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–*

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, कि मौजा जैतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 211 रकवा 47 बीघा 15 बिस्वा मे से 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा की जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादीनी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है,उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे वादीनी के नाम अलग से खातेदारी में दर्ज किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीनी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 इस अमर की जारी की जाती है कि वादीनी के बन्ट मे आने वाली जमीन खेत ख.न. 211 रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा मे से 01/02 हिस्सा अर्थात 23 बीघा 18 बिस्वा की जमीन जिसको वादीनी के नजरी नक्शे मे मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है।वादीनी के उक्त हिस्से व कब्जा काश्त मे भविष्य मे प्रतिवादीगण सं 01 ता 09 न तो स्वयं दखल करे और न किसी अन्य अपने एजेन्ट से दखल करावे।तथा उपरोक्त खेत की खातेदारी में से कमलकंवर बेवा भंवरसिंह का नाम हटाया जाता है। नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.............
.......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06..2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner